

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 281 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त 04, 2023.
सेवा में,अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।विषय- जनपद-रूद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या-553/2015 के अन्तर्गत क्यार्क-बरसूड़ी-भैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण। P.NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019
सन्दर्भ- आपकी पत्र सं0 1711/FP/UK/ROAD/40773/2019 दिनांक 13.01.2022।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 239/12-1(2) दिनांक 21.07.2023 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0सी0/773 दिनांक 23.09.2021 से चाही गई सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने अपने पत्रांक-1690/13सी0 दिनांक 12.07.2023 से निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा संशोधित प्रपत्रों को पार्ट-1 के क्र0सं0-57 तथा Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रपत्रों की मूल सहित तीन हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई हैं, जो मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 239/12-1(2) दिनांक 21.07.2023 से, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या-8167/111(2)/18-15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी. की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML file पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A Part-I para-C (Maps of forest land proposed to be diverted) वाले कॉलम में ऑनलाईन अपलोड कर किया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfactory. State Government may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन अन्य वैकल्पिक संरेखणों को संशोधित डिजिटल मानचित्रों में संरेखण 1-हरा रंग, 2-काला रंग एवं 3-नीला रंग से दर्शाया गया है, जिन्हें Part-I para-C(iii) में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं उक्त मानचित्रों की हार्ड प्रति मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-2) वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

क्रमशः पेज 02 पर

4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरक्षण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि.मी. तक सिविल वन क्वार्क-बरसूड़ी व वन पंचायत कौशलपुर की भूमि पड़ती है तथा 0.60 किमी० गैर वन क्षेत्र जो कि संरक्षण के अन्तिम भाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम पांच मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है एवं एक भू-स्वामी को छोड़कर अन्य भू-स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नाप भूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण केवल एक मक डम्पिंग स्थल नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों पर कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण प्रस्तावित नाप भूमि में किया जायेगा। (संलग्नक-4)
---	---	--

उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से स्पष्ट किया है कि मोटर मार्ग के चयनित संरक्षण का दिनांक 14.07.2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01.02.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्ष) में अन्तर हुआ है तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित हैं। (1-कवर पेज, 2-फैक्स शीट, 3-प्रपत्र 3 भाग।।, 4-प्रतिवेदन, 5-प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6-वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण-पत्र, 7-तुलनात्मक विवरण, 8-वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र, 9-लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण, 10-बारचार्ट, 11-प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण पत्र, 12-मक डिस्पोजल प्लान, 13-वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र, 14-एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन आदि)

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

**कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।**

पत्रांक- 239 / 12-127 दिनांक 21/07/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या-553/2015 के अन्तर्गत क्याक-बरसूड़ी-मैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019**

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक-8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0सी0/773 दिनांक 23.09.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक-1711/FP/UK/ROAD/40773/2019 दिनांक 13.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने उनके पत्रांक-1690/13सी0 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा संशोधित प्रपत्रों को पार्ट-1 के क्र0सं0-57 तथा Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रपत्रों की मूल सहित चार हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई हैं, जो मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या-8167/111(2)/18-15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी. की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML file पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A Part-I para-C (Maps of forest land proposed to be diverted) वाले कॉलम में Online ऑनलाईन अपलोड कर किया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfactory state Government may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन अन्य वैकल्पिक संरेखणों को संशोधित डिजिटल मानचित्रों में संरेखण 1-हरा रंग, 2-काला रंग एवं 3-नीला रंग से दर्शाया गया है, जिन्हें Part-I para-C(iii) में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं उक्त मानचित्रों की हार्ड प्रति मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-2) वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का कारण स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

क्रमशः-2 पर

(2)

<p>4 The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरक्षण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि.मी. तक सिविल वन क्वार्टर-बरसूड़ी व वन पंचायत कौशलपुर की भूमि पड़ती है तथा 0.60 किमी⁰ गैर वन क्षेत्र जो कि संरक्षण के अन्तिम भाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम पांच मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है एवं एक भू-स्वामी को छोड़कर अन्य भू-स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नाप भूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण केवल एक मक डम्पिंग स्थल नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों पर कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण प्रस्तावित नाप भूमि में किया जायेगा। (संलग्नक-4) (संलग्नक-5)</p>
--	--

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि मोटर मार्ग के चयनित संरक्षण का दिनांक 14.07.2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01.02.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्ष) में अन्तर हुआ है तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित हैं। (1-कवर पेज, 2-फैक्स शीट, 3-प्रपत्र 3 भाग।।, 4-प्रतिवेदन, 5-प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6-वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण-पत्र, 7-तुलनात्मक विवरण, 8-वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र, 9-लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण, 10-बारचार्ट, 11-प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण पत्र, 12-मक डिस्पोजल प्लान, 13-वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र, 14-एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन आदि)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित चार प्रतियों में)

भवदीय



उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - _____ / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

पंजीकृत



Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 1690 / 13सी.

दिनांक 12/07/2023

सेवा में,

उपवन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषय:-

मा.मुख्यमंत्री घोषणा सं. 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूडी-गैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8वीं/यू.सी.पी./06/70/2021 एफ.सी./773 दिनांक 23-09-2021 एवं आपका पत्रांक 3914/12-1(2) दिनांक 31-05-2023 (ऑन लाइन फाइल सं. FP/UK/ROAD/40773/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मांगी गयी सूचनाओं को बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 8167/111(2)/18-15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31-12-2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी. की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। (शासनादेश की छायाप्रति संलग्न 21 नं. पर)
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML File पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A में C. Maps of forest land proposed to be diverted वाले कॉलम में online अपलोड कर दिया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfactory state Government may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरंखणों को डिजिटल मैप, टोपोग्रीफ मैप एवं KML File में हरे, काले एवं नीले रंग से अंकित किया गया है, एवं वैकल्पिक समरंखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक समरंखणों को निरस्त किये जाने का कारण सहित प्रपत्र को संशोधित कर दिया गया है। (संशोधित प्रपत्र संलग्न 7 नं. पर)
4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.	उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरंखण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि.मी. तक सिविल वन क्यार्क-बरसूडी व वन पचायत कौशलपुर की वनभूमि पडती है, तथा 0.60 किमी. गैर वन क्षेत्र समरंखण के अन्तिम प्रभाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम 5 मक डम्पिंग स्थल को वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है, एक भू-स्वामी को छोड़ कर अन्य भू-स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नापभूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण एक ही मक डम्पिंग जोन को नापभूमि में प्रस्तावित किया गया। खण्ड द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि वनभूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण नाप भूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में किया जायेगा। (प्रमाण-पत्र संलग्न 22 नं. पर)

भारतीय
शा.नि.वि.

20.7.23

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मोटर मार्ग के चयनित सरेखण का दिनांक 14-07-2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01-02-2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्षों) में अन्तर हुआ है, तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित पॉच प्रतियों में सलंगन कर प्रेषित है। (1-कवर पेज, 2-फैक्ट शीट, 3-प्रपत्र 3 भाग I, 4-प्रतिवेदन, 5-प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6-वनभूमि की मांग का औचित्य का प्रमाण-पत्र, 7- तुलनात्मक विवरण, 8- वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र, 9-लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण, 10-बारचार्ट, 11-प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण-पत्र, 12-मक डिस्पोजल प्लान, 13-वनभूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र, 14-एन.पी.वी. की धनराशि का आंकलन आदि)

सलंगन:-1. कवर पेज।

2. फैक्ट शीट।
3. प्रपत्र-3 (भाग-2)।
4. प्रतिवेदन।
5. प्रपत्र-6 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट)।
6. प्रपत्र-11 (वनभूमि की मांग का औचित्य का प्रमाण-पत्र)।
7. तुलनात्मक विवरण।
8. प्रपत्र-14 (वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र)।
9. लैण्ड शैड्यूल (15, 15.1, 15.2)।
10. प्रपत्र-16 (परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण)।
11. बारचार्ट।
12. प्रपत्र-19, 19.1 (पेडों का विवरण)।
13. प्रपत्र-20.1 (परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सांराश, पेडों की सूची)।
14. प्रपत्र-21 (परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण)।
15. वृक्षों की मूल्य सूची।
16. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।
17. आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र।
18. प्रपत्र-41 (मक डिस्पोजल प्लान)।
19. वनभूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र।
20. प्रपत्र-42 (एन.पी.वी. की धनराशि का आंकलन)।
21. शासनादेश की छायाप्रति।
22. वनभूमि में कम से कम मक डम्प किये जाने का प्रमाण-पत्र।

पत्रांक / 13सी.

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Mono
Mono

(इं. मनोज कुमार भट्ट)
अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

दिनांक / / 2023

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।